हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10-12-19 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 9, 12 व 13 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.11.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादीगण ने अपने उक्त वाद पत्र में वसीयत दिनाक 30.07.2012 प्रवर्तनहीन, अकृत व शुन्य एवं विधि प्रवर्तनीय होने व रावता राम की मानसिक व शारीरिक स्थिति सही नही होने व बीमार होने व रावता राम का इन्द्रीयां व सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने तथा वसीयत रावता राम द्वारा अपनी स्वतन्त्र ईच्छा व विवेक से निष्पादित नही करने के कथन किये है। वसीयत दिनांक 30.7.2012 रजिस्टर्ड वसीयत है। वाद-पत्र मे वसीयत दिनाक 30.07.2012 के सम्बन्ध में किये गये कथनों के सम्बन्धो में निर्णय करने की अधिकारीता राजस्व न्यायालय को नही है बल्कि सिविल न्यायालय को है। वादीया ने इन्ही तथ्यों के आधार पर उक्त वाद-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही माननीय सिविल न्यायधीश महोदय, हनुमानगढ के समक्ष वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो स्थानान्तरित होकर माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायधीश महोदय, हनुमानगढ के विचाराधीन है। वसीयत दिनाक 30.07.2012 के प्रभाव में रहते हस्तगत् वाद चलने योग्य नही है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीया का उक्त वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है। इस आधार पर वाद-पत्र वादीया खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.04.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा व तकसीम का है और सिविल न्यायालय में जो वाद पेश किया है, वह वसीयत निरस्त करनें का है, दीवानी वाद का राजस्व वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. की दरसवास्त पेश नहीं की जा सकती है। यह दरखवास्त मुकदमा में देरी करनें के लिये पेश की गई है जो चलनें योग्य नहीं है। अतः जबाब दरख्वास्त आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मय हर्जा खर्चा खारिज करनें की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में गत पेशी दिनांक 02.12.2019 को बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादीया द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य स्वीकार किया है, कि सिविल न्यायालय में जो वाद पेश किया है, वह वसीयत निरस्त करनें का है। चुकि वादीया द्वारा अपनें वाद पत्र में पिता की भूमि का विरास्तन हक हिस्सा की मांग की जा रही है। तथा पिता द्वारा अपनी भूमि को अपनें पोत्रों के पक्ष में वसीयत करवाई जा चुकि है, जिसको वादीया द्वारा सीविल न्यायालय मे चुनौती देनें के कारण प्रकरण वर्तमान में सीविल न्यायालय में विचाराधीन होनें से माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव है, अतः वादीया द्वारा एक ही विवादित आराजी के सन्दर्भ में दो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करनें पर पूर्ववर्ती वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. खारिज किया जाकर धारा 10 सी.पी.सी. के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्तमान स्तर पर कार्यवाही स्थगित की जाकर पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है।

माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यदि इस न्यायालय से उक्त वाद पत्र में वादीया के पक्ष में कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो पुनः कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनाक 10-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.07 13:51:07 IST
Reason: SelfAttested